Date: June 13, 2024

To,
The Manager - Listing
Dept of Corp. Services,
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400001
Scrip Code: 543593

The Manager - Listing<br>National Stock Exchange of India Ltd.<br>Exchange plaza, Bandra Kurla Complex<br>Bandra East<br>Mumbai - 400051<br>Symbol: DBOL

Dear Sir/Ma'am,

## Sub: Newspaper Publication of Notice of $4^{\text {th }}$ Annual General Meeting and evoting information

Pursuant to regulation 30 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose herewith copies of Business Standard (English and Hindi Edition) dated June 13, 2024 regarding completion of dispatch of notice of $4^{\text {th }}$ Annual General Meeting along with Annual Report. The said publication also includes details of e-voting and record date.

You are requested to take the same on record.

Thanking you

Your Sincerely,
For Dhampur Bio Organics Limited
Ashu
Digitally signed by
Ashu Rawat
Rawat
Date: 2024.06.13
13:45:45 +05'30'
Ashu Rawat
Company Secretary and Compliance Officer

## Global oil demand set to peak by 2029, warns IEA



WORLD BANK WORKING PAPER
'Enhancefiscal capacity of gram panchayats, increase devolution'


## KEY OBSERVATIONS



Administrative data quality
and its public availability will and itroue accessibility

- An independent and credible system


## - Effective grievance redressa

systems crucial for holdin

## 

Bank creditgrowth to ease to12-14\% in FY25: Moody's

Deposit rates havepeaked:Khara press trust of india


From page 1
Budget may spell out RBI dividend utilisation

C EICHER EICHER MOTORS LIMITED


BOROSIL RENEWABLES LIMITED

|  |  |
| :---: | :---: |
| Transfer of Equity shares in case of unclaimed dividend for the year 2016-17 of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) |  |
| Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6)of the Companies Act 2013 read with Rule 6 of the Investor Education of the Companies Act, 2013 read win Rune Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("the Rules"), the unclaimed dividend for the financial year ended March 31, 2017 and the corresponding equity shares of the Company in respect of which dividend remained unclaimed for seven consecutive years will be due for transfer to the IEPF on September 15, 2024. |  |
| The concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF must note that (i) individual communication in this regard is being sentto your latestregistered address and relevant details in this regard are available on the Company's website umw.borosilienewables.com (ii) |  |
| The original share certificate(s) registered in your name will stand automatically cancelled. |  |
| If no valid claim is received on or before September 14, 2024, the Company will proceed to transfer the liable equity shares and the unclaimed dividend for the financial year ended March 31, 2017 in favour of IEPF authority without any further notice. Shareholders may note that, after the transfer of shares, any corporate benefit arising out of such shareholding in the Company shall also be credited in favour of IEPF and the voting rights on such shares shall remain frozen till the rightful owner claims the shares. |  |
| Shareholders may also note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend and shares transferred to IEPF. |  |
| Shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by following the guidelines as specified in Rule 7 |  |
| of the IEPF Rules, details of which are available at the IEPF website www.iep.gov.in. |  |
| In case of any queries/clarifications on the subject matter and the Rules, shareholders may contact: |  |
| Pvt. Ltd., Unit: Borosil Renewables Limited, C-101, 247 Park, L.B.S Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Phone: 022-49186178-79, Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| For Borosil Renewables Limited |  |
|  |  |
|  |  |




| नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेनईई के आदेश के अनुसार "श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड" को "श्रीराम ट्रासपोटी फाइनेंस लिमिटेड" के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनांक $30-11-2022$ के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11 .2022 से प्रभावी हो गया। जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आसितयों का प्रतिभूतिकरण एवं पुन्ग्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्कियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनभ्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं। <br> कर्जदनों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 11.06 .2024 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड प्रभार के अध्यधीन होगा। |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| त्यत्त का विवरण |  |
| सम्पूर्ण भाग, क्षेत्रफल 240.00 वर्ग गज। सीमा विवरण:-पूर्व- प्लॉट न. 07 , पश्चिम- प्लॉट नं. 05 , उत्तर- अन्य प्लॉट, दक्षिण- रोड 20 फीट |  |
| प्रतिभूत आसियों को विमोंचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्य में कर्जदार काध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।स्थान : जयपुरतिथि : 11 जून, 2024 |  |

DBO
धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

|  |
| :---: |
|  |  |



| $\begin{gathered} \text { प्रपत्र - ए } \\ \text { सार्वजनिक घोषणा } \\ \text { \|भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्परेट व्यकितयों के } \\ \text { लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) दिनियमावली, } 2016 \text { के विनियम } 6 \text { के अधीन। } \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: |
| mand |  |
| matmemm |  |
| \% ${ }^{2}$ | \% |
| \%ex |  |
|  | mamme |
| = $=$ minx mex | \% ${ }^{\text {a }}$ |
| Tramsman |  |
| manmem |  |
|  | max max mix |
| \% ${ }^{4}$ |  |
|  |  |
|  |  |
| 为 ${ }^{\text {a }}$ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | . |

##  <br>  <br> लिमिटे ("कम्पनी") के सदस्स्यों को सूचित किया गया था कि कपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बने नियम, सेबी [सूचीबद्धता (लिखिटिं) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्ताएँ] विनियमन, 2015 ("सेबी

 सूचीबद्धता विनियमन"), तथा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिप्न संख्या $14 / 2020$ दिनांक 8 अप्रेल दिनांक 25 सितबरर, 2023 ("एमसीए परिपत्रों") के अनुपालन में, कपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम शुकवार, 5 जुलाई, 2024 को $11: 00$ बजे (भारतीय मानक समय), सदस्यों की आम स्थान पर भौतिक उपस्थितिबिना, वीडियो कॉन्फेंसिंग/अन्य आडियो विजुल माध्यमों ("वीसी/ ओएवीएम") द्वारा की जाएगी. जिसमें एजीए की सूचना में उल्लेखित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।
जिन सदस्यों के ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") या संबंधित डिपॉज़िद
प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकूत
 12 जन, 2024 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है। 33 वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोट्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.dil-ricorp.com) स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com और
www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ब है।
 की सेवाएं ली
इ-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 28 जुन. 2024
("कट-ऑफ तिथि") निरधारित की गई है। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकत इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयों के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के
रजिस्टर या डिपोंजिटरी द्वारा बनाई गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में कट-ऑफ तिथि पर दर्ज रहेगा, केवल वही व्यक्ति एजीएम में शामिल हो सकता है तथा रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 2 जुलाई, 2024 पूर्वाह $09: 00$ (मारतीय मानक समय) को प्रारम्भ होगी तथा गुरूवार इलेक्ट्रानिक माध्यम से कर सकते है। तदुणरान्त रिमोट ई-वोटिंग मोड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान करने के लि वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजी एम में शामिल हो सकते है पर वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा
द्वारा पन मतदान नहीं कर सकेंगे इसके अलावा केवल वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है तथा वे ऐसा करने के लिए अयोग्य भी नहीं हैं, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग्र प्रणाली के माध्यम से नुमति नहीं दी जायेगी ई-मेल पंजीकरण, रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने लॉगिन आईडी प्राप्त
ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्किया निर्देश 33 वीं एजीएम की सचना में प्रदान किए गए हैं।
श्री कपिल देव तनेजा (सीपी नंबर 22944), तथा उनकी अनुपस्थित में श्री नीरज अरोड़ा (सीपी नंबर 16186), मैसर्स संजय जांच करने के लिए जांचकता नियुक्त किया गया है। और कपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को शेयरों का स्वामित्व रखता है, वह 3उवीं एजीएम के सूचना लेख हुए निर्देशों का पालन कर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा evoting@nsdl.com
पर आवेदन कर सकता है। हालांकि यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल या सेंटल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह 33वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना यदि आपने कम्पनी / डीपी / आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, तो निम्न निर्देशों का पालन

भौतिक रूप से कृपया केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, आरटीए को einward.ris@кfintech.com पर $\begin{aligned} & \text { कापी को companysecretary@dil-rरcorp.com पर अपना नाम, फोलियो नंबर, शेय }\end{aligned}$

डीमिट रूप से
धारित शेयर
कुप्या अपने डीपी से संपक करें तथा डीप्यें
में अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करायें सेबी ने भोतिक रूप में प्रतिभूतियों के धारको द्वारा पेन, केवाइसी विवरण (यानी पिन कोड के साथ डाक पता, इ-मेल पता,
मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण) और सभी प्रतिभूति धारको द्वारा नामांकन विररण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है । भौतिक रूप में शेयर रखने वाले किसी सदस्य से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर तब तक कारवाइ नही की
जाएगी जब तक कि उपरोक्त विवरण/ दस्तावेज आरटीए को उपलब्ध नहीं कराए जाते। इस संबध में प्रसंगिक विवरण धिनियम की धारा 91 तथा इसके अंतर्गत निय्म तथ सेबी सचीबद्धता विनियम्न के विनियम 42 के प्रावानों के अनुसार कम्पनी के सदर्यों के रजिस्टर और शेयर हसतांतरण पुस्तक शुक्तार, 28 जून, 2024 से शुक्कार, 5 जुलाई, 2024 तदान का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवस या 3 दिन, जो भी पहले हो, के भीतर घोषित किया जाएगा औ जांचकर्ता की समेकित रिपार्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वेबसाइट (www.dil-ricorp.com) स्टॉक
एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट

ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com पर हेल्य/एफएक्ये देखें या सुभ्री पल्लवी म्हात्ते, वरिष्ठ प्रंधक, एनएसडीएल, चौथी मंजिल, ' $T$ ' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड
सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मंबई-400013, को 022-48867000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें या companysecretary@dil-rjcorp.com पर कुनी के अनुपालन अधिकारी को ई-मेल लिखें।

दिनांक: 12 जुन
स्थानः गुरुग्राम

